



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8173 सन् 2026

दीपू सिंह उर्फ बीरू एवं अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: वीरप्रताप सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदकगण द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वाद संख्या 18822/2024 (राज्य बनाम दीपू उर्फ वीरू एवं अन्य), जो कि अपराध संख्या 0427 अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सन् 2023, धारा 447, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना- कुरारा, जनपद हमीरपुर से उत्पन्न है, की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जाए, साथ ही दिनांक 07.05.2024 के संज्ञान आदेश तथा दिनांक 29.11.2023 के आरोप पत्र को भी निरस्त किया जाए।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केवल यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आरोप पत्र में धारा 447 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आवेदकगण का आरोपित किया जाना अवांछित है, क्योंकि धारा 447 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोपित किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1961 के अनुसार पूर्व सूचना अनिवार्य है। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा राहतु लाल राहतु राम @ दिव्यानंद एवं अन्य के वाद में, आवेदन धारा 482 संख्या 1421 सन् 2004 में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जिसका प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:-

"5.7 उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, आवेदकगण को न तो अतिक्रमणकर्ता कहा जा सकता है और न ही उन्हें धारा 447 भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत विचारणीय ठहराया जा सकता है, क्योंकि उक्त धारा के अंतर्गत उनके विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। चूँकि संशोधित धारा 441 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नोटिस देना एक अनिवार्य आवश्यकता है, किन्तु इसका पालन नहीं किया गया है, क्योंकि धारा 441 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई भी नोटिस आवेदकगण को कभी प्रेषित नहीं किया गया। इस अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन के अभाव में, "आपराधिक अतिक्रमण" का अपराध, जो धारा 441 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है, सिद्ध नहीं होता है, अतः आवेदकगण के विरुद्ध धारा 447 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दाखिल आरोप पत्र विधिक रूप से टिकाऊ नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों का जोरदार विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि संशोधित धारा 441 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नोटिस न भेजे जाने के प्रभाव का परीक्षण संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना है तथा आवेदकगण संबंधित न्यायालय के समक्ष निर्वहन (डिस्चार्ज) हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. चूँकि आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधिक प्रश्न उठाया गया है, अतः प्रतिवादी संख्या-2 को नोटिस निर्गत करने की प्रक्रिया से यहां विरत किया जाता है।

6. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों के समुचित अवलोकन हेतु, संशोधित धारा 441 तथा 447 भारतीय दंड संहिता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें निम्नवत् उद्धृत किया जाता है :-

"441. **आपराधिक अतिक्रमण.**- जो कोई किसी अन्य के कब्जे में स्थित संपत्ति में इस आशय से प्रवेश करता है कि कोई अपराध करे या उस संपत्ति के कब्जे में स्थित किसी व्यक्ति को भयभीत, अपमानित या परेशान करे, अथवा विधिपूर्वक ऐसी संपत्ति में प्रवेश करने के पश्चात्, अवैध रूप से वहां इस आशय से ठहरता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को भयभीत, अपमानित या परेशान करे, या कोई अपराध करे, अथवा ऐसी संपत्ति में प्रवेश करने के पश्चात्, चाहे वह आपराधिक विधि (आई.पी. संशोधन) अधिनियम, 1961 के प्रवर्तन से पूर्व या पश्चात् हो, इस आशय से कि ऐसी संपत्ति का अनधिकृत कब्जा ले या उसका अनधिकृत उपयोग करे, और उस संपत्ति से, या उसके कब्जे अथवा उपयोग से, उस अन्य व्यक्ति द्वारा विधिवत् तामील किए गए लिखित नोटिस में निर्दिष्ट तिथि तक, ऐसा करने के लिए कहे जाने पर भी, हटने में असफल रहता है, वह "आपराधिक अतिक्रमण" करने वाला कहा जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"447. आपराधिक अतिक्रमण के लिए दंड:- जो कोई आपराधिक अतिक्रमण करता है, वह किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

7. उपरोक्त संशोधित धारा 441 भारतीय दंड संहिता के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आपराधिक विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1961) के प्रवर्तन से पूर्व या पश्चात्, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के कब्जे में इस आशय से प्रवेश करता है कि वह उस संपत्ति का अनधिकृत कब्जा प्राप्त करे या उसका अनधिकृत उपयोग करे, और उस संपत्ति से या उसके कब्जे अथवा उपयोग से, उस अन्य व्यक्ति द्वारा विधिवत् तामील किए गए लिखित नोटिस में निर्दिष्ट तिथि तक, हटने में असफल रहता है, तो उसे "आपराधिक अतिक्रमण" करने वाला कहा जाएगा।

8. निःसंदेह, वर्तमान प्रकरण में संशोधित धारा 441 भारतीय दंड संहिता में निर्दिष्ट अनुसार, कथित रूप से अन्य व्यक्ति अर्थात् प्रतिवादी संख्या-2 की भूमि से हटने या उसके कब्जे अथवा उपयोग से विरत होने के लिए कोई भी लिखित नोटिस आवेदकगण को तामील नहीं किया गया है। अतः ऐसे नोटिस के अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठता और उसके विपरीत, नोटिस का पालन न करने की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती। परिणामस्वरूप, "आपराधिक अतिक्रमण" का कोई अपराध किया जाना नहीं माना जा सकता। इन तथ्यों की उपेक्षा करते हुए आवेदकगण के विरुद्ध धारा 447 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया तथा जिस पर संबंधित न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया, वह विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है।

9. उपर्युक्त के आलोक में, धारा 447 भारतीय दंड संहिता के संबंध में पारित दिनांक

07.05.2024 का संज्ञान आदेश निरस्त किया जाता है। जहाँ तक धारा 504 एवं 506

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का प्रश्न है, वह विचारण का विषय है और अतः संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदकगण के विरुद्ध धारा 447 भारतीय दंड संहिता को छोड़कर केवल धारा 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ाए।

10. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से अनुमन्य किया जाता है।

दिनांक : 25 मार्च, 2026

शाश्वत

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।